

प्रेषक,

राधे मोहन श्रीवास्तव,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी
विधि कोषक, महाधिवक्ता कार्यालय,
मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा- प्रमुख सचिव न्याय, एवं विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

संख्या: ए०एल०आर-ए/जी/विधि- २६८

दिनांक १५-७-२०२४

विषय: अचल सम्पत्ति के क्रय/विक्रय के सम्बन्ध में उ०प्र०सरकारी सेवक आचरण नियमावली १९६६ के नियम २४ के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड क्रय किये जाने की सूचना।

महोदय,

सादर निवेदन है कि एक किता आवासीय भूखण्ड आराजी नं०-४६१ रकबा ०.१२६० हे० व आराजी नं० ४५२ रकबा ०.१३६० हे० २ गाटा मे से कुल रकबा ०.२६५० में से रकबा २४०५ वर्गफिट यानी २२३.५१३ वर्गमीटर वाके मौजा बसही टप्पा ८४ परगना कर्तित तहसील सदर जिला मीरजापुर की मालिक काबिज श्रीमती ऋचा दुबे पत्नी श्री श्यामदत्त दुबे निवासी ग्राम हरिपुर बरसठी तहसील मडियाहूँ जिला जौनपुर से मुझे उक्त भूखण्ड क्रय किये जाने की अनुमति मा०उच्च न्यायालय से प्राप्त हो चुकी है। विक्रय अनुबन्ध के अनुसार प्रतिफल की धनराशि मे से बतौर अग्रिम मु०५०००/-रु० जरिये एस०बी०आई० चेक २१४५०३ दिनांक १५.०५.२०२४ द्वारा विक्रेता को अदा किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि मु०१४६५०००/-रु० विक्रयपत्र के निष्पादन के पूर्व जरिये आर०टी०जी०एस० यू०टी०आर०नं० एस०बी०आई०एन०आर-५२०२४०६२६३१५३५११० दिनांक २६-६-२०२४ को अदा की गयी। उक्त कुल मु०१५०००००-०० रु० प्रतिफल धनराशि अदायगी के उपरान्त विक्रेता श्रीमती ऋचा दुबे द्वारा मेरे पक्ष में दिनांक २७-६-२०२४ को विक्रयपत्र का निष्पादन स्वेच्छया समक्ष गवाहान किया गया। विक्रय पत्र का निष्पादन उपनिबन्धक सदर मिर्जापुर के समक्ष किये जाने के उपरान्त बही संख्या-१ जिल्द संख्या ११३५३ के पृष्ठ १५५ से १७६ तक क्रमांक ८०८६ पर दिनांक २७-६-२०२४ को रजिस्ट्रीकृत किया गया। मा०उच्च न्यायालय के अनुमोदनोपरान्त उक्त विक्रय विलेख का निष्पादन उपरोक्त विवरण के अनुसार सप्रतिफल स्वयं के पक्ष में कराया गया।


अतः मा०उच्च न्यायालय के अपेक्षानुसार प्रतिफल के संव्यवहार के सम्बन्ध में सुसंगत वेतन खाता पासबुक का मुखपत्र सहित सुसंगत प्रविष्टि एवं विक्रय विलेख की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये निवेदन है कि मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित आवासीय भूखण्ड क्रय किये जाने की सूचना माननीय न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

तदनुसार सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथा उपरोक्त।

सादर।

भवदीय,


(राधे मोहन श्रीवास्तव) 15/07/2024

विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन।